न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 421/2022 (2022/685)

अनवान

1. डालचन्द पिता बेणीराम नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
2. कैलाश बाई पत्नी शान्तिलाल जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
3. बाबुलाल पुत्र जसराज जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
4. ममता पुत्री शान्तिलाल जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
5. राहुल पुत्र शान्तिलाल जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
6. भगवती बाई पत्नी सत्यनारायण जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
7. ललसिंह पुत्र रायचन्द जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
8. जगदीश पुत्र रायचन्द जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
9. शिवनारायण पुत्र रायचन्द जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
10. निर्मला पुत्री नन्दलाल जाट नि.चिकसी तह.व जिला चित्तौडगढ
11. मनोहर पुत्र नन्दलाल जाट नि.चिकसी तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखलाल पुत्र हजारीलाल जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
2. कुस्बा पुत्री हजारीलाल जाट नि.फलासिया तह.व जिला चित्तौडगढ
3. श्रीमान् भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

—विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री शिवलाल जाट प्रार्थी संख्या 09
श्री चन्द्रशेखर जोशी अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 19-03-26

प्रार्थना पत्र का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया की प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम फलासिया पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील चित्तौडगढ मे पैतृक हक, हकुक से मोजुद हो विरासत से वर्तमान मे हम प्रार्थीगण को प्राप्त होकर खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। आराजी नम्बर 278 रकबा 0.23 हे., 279 रकबा 0.22 हे., 280 रकबा 0.22 हे., 281 रकबा 0.05 हे., 282 रकबा 0.02 हे., 283 रकबा 0.18 हे. हक हिस्से मे दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण अपने स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजीया तमे विपक्षीगण की कृषि आराजीयात के दक्षिणी दिशा से होते हुये सदैव आते जाते रहे , इस रास्ते मे प्रार्थीगण अपनी बेलगाडी, ट्रेक्टर आदि मे कडप इत्यादि फसल लाते ले जाते रहे है। विपक्षी के खाते मे आराजी नम्बर 253 रकबा 0.44 हे. , विपक्षी संख्या 01 व 02 के हक हिस्से मे दर्ज है लेकिन विपक्षीगण हम प्रार्थीगण को व परिवार वाले को नही आने जाने देते है तथा नाजायज रूप से परेशान करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर कृषि कृषि यंत्र लाने ले जाने एंव फसल को लाने मे काफी परेशानिया उत्पन्न होती है। तथा विपक्षीगण से प्रार्थीगण का रास्ता बाधित होता रहता है । प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर जाने हेतू रेकार्डेड रास्ते विघमान नही है, प्रार्थीगण द्वारा कदीमी रास्ते विघमान गाडीगडार के रास्ते मे अपने कृषि भूमि मे ट्रेक्टर इत्यादी ले जाने मे परेशानी हो रही है इसलिये प्रार्थीगण रास्ते को 5 मीटर चोडाई मे आराजी नम्बर 253 रकबा 0.44 हे. के दक्षिण दिशा के छोर पर प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त कराने का अधिकारी है। विपक्षीगण द्वारा कई बरसो से चले आ रहे कुए के धोहरे को बन्द कर दिया उस पर खेत बना दिया जबकि बरसो से हम प्रार्थीगण के खतो में सिंचाई हेतु उक्त कुए के धोहरे का ही उपयोग मे लेते रहे थे उसी धोहरे के पास आम रास्ता बना हुआ था जिसे भी जबरन कब्जा कर रास्ते को अवरूद्ध कर खम्भे लगाकर तारबन्दी कर दी है। दिनांक 05.07.2022 को विपक्षीगण को मौखिक रूप से रास्ते को 5 मीटर चौडा रास्ता आराजी नम्बर 253 के दक्षिण दिशा के छोर पर देने

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौडगढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

...हते हुये उसे रेकॉर्ड मे नक्शे मे तरमीम कराने के लिये कहा तो विपक्षीगण ने ... रास्ते को तरमिम करने से मना कर दिया जिससे वाद पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नं 253 रकबा 0.44 हे. के दक्षिण दिशा के छोर मे 5 मीटर चौडाई कदीमी रास्ते को रेवेन्यु रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता चन्द्रशेखर जोशी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब इस आशय का पेश किया की प्रार्थी की आराजी नं 278, 279, 280, 281, 282, 283, दर्ज रेकार्ड है। लेकिन साथ ही प्रार्थीगण के खाते मे 272, 273, 274 तथा 265, 266, 267, 268, 269 भी दर्ज रेकार्ड जो रास्ता आराजी नं 270 तथा 296 से जुडता हुआ ग्राम की आराजी नम्बर 108 से लगा हुआ है जिससे प्रार्थीगण वर्षो से आते जाते रहे है। विपक्षीगण की आराजीयात 253 रकबा 0.44 हे. मे प्रार्थीगण कभी भी अपने बेलगाडी , ट्रेक्टर आदि से फसल आदि लेकन नही आते जाते रहे है। बल्कि स्वयं की आराजी जो प्रार्थना पत्र मे बतायी गयी है उसके साथ लगती हुई आराजी सरकारी रस्ते के आराजी नम्बर 270 व 296 से गांव से आते जाते रहे है । प्रार्थीगण संख्या 06 भगवती बाई द्वारा आराजी नम्बर 267 के विक्रेता परसराम व सत्यनारायण पिता घमण्डी राम जाट नि.फलासिया पटवार हल्का शम्भुपुरा से जमीन खरीदी है जिसके आराजी नम्बर 267 भी सरकारी रास्ते से जुडे हुये है जिन्हे छोडकर न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्ये बताकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौके पर सरकारी रास्ता प्रार्थीगण के होने से नया रास्ता विपक्षीगण की आराजीयात मे नया कायम करने का कोई भी अधिकार प्रार्थीगण को नही है। अन्त मे विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण रास्ते से सम्बन्धित होने से तहसीलदार चित्तौडगढ से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसील से पत्रांक/राज/2025/1720 दिनांक 11.11.2025 से मौक की रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतू वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है । इसमे किसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

...वत क्षय नही हो रहा है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होकर पक्षकारो के ...य आपसी सहमति नही बन पाई। सहमति नही होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल (लम्बाई एंव चौडाई) एंव क्षेत्रफल की डी.एल.सी.दर का दुगने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित की जा रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रस.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई एंव चौडाई मीटर में	प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल हैक्ट. मे	डी.एल. सी.दर प्रति एअर	दुगनी डी.एल. सी.दर प्रति एअर	राशि रूप्ये मे
1.	कुस्बा पुत्र हजारीलाल 1/2 सुखलाल पुत्र हजारीलाल 1/2 जाट सा.देह. खातेदार	253	0.44	चाही 1	लम्बाई 37.5 मी. एंव चौडाई 4 मीटर	0.0150 हे.	17790 प्रति एयर	35580 प्रति एयर	53370

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 37.5 मीटर एंव चौडाई 04 मीटर होकर कुल क्षैत्रफल 0.0150 हे. बनता है एंव दुगनी डी.एल.सी.दर 35,580 रूप्ये से गुणा करने पर राशि 53370 रूप्ये अक्षरे तिरेपन हजार तीन सौ सत्तर रूप्ये होती है।

दौराने सुनवाई विपक्षी संख्या 01 की तरफ से प्रार्थना पत्र बाबत् आपत्ति मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र अनुसार हाल आराजी न. 251 पर आने जाने के रास्ता का पेश किया था। लेकिन तहसीलदार सा. के अदेशानुसार पालना मे ग्राम फलासिया के आराजी नं 251 पर ग्राम के हाल आ.न. 296 , 293 व 270 रास्ता तथा सरकारी रास्ता दर्ज जिस पर लोग आते जाते है तथा प्रार्थीगण व विपक्षी की शामलाती कुआ आराजी नं 251 पर गॉव से आते जाते रहते है फिर भी तीनो रास्ता का उल्लेख तथा विवरण मौका रिपोर्ट मे किसी प्रकार का विवरण न देकर गलत व झूठी रिपोर्ट तैयार की है। जिससे रास्ता सरकारी का विवरण देकर दुबारा मौका

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...बनवाई जाने का निवेदन किया। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र का प्रार्थी / विपक्षी ...ाब न देकर सीधे बहस करते हुए निवेदन किया कि अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र निराधार होकर हस्तगत प्रकरण को लम्बित रखने की मंशा हेतु प्रस्तुत हुआ है अत उक्त प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम किए जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 09 के निवेदन पर चिन्तन व मनन किया । अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अधिवक्ता विपक्षी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए ग्राम फलासिया के हाल आराजी नं 251 किस्म आ.चा. जो शामलाती है उस पर ग्राम के हाल आ.न. 293 , 296 , 270 रास्ता के विवरण के साथ दुबारा मौका रिपोर्ट बनवाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन व मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र मे जो तथ्य उठाये है वह तथ्य निराधार होकर हस्तगत प्रकरण को लम्बित रखने की मंशा से अभिभूत होते प्रतीत हो रहे है। अगर कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होता तो तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे उसका अंकन होता परन्तु ऐसा तो कही रास्ते का अंकन न होना मौका रिपोर्ट से जाहिर हुआ है। ऐसी सूरत मे उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

हस्तगत मामले मे योग्य निर्णय के आधार पर तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट उचित एंव स्पष्ट होने से हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौडगढ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की मौजा फलासिया पटवार हल्का शम्भुपुरा की आराजी न 278, 279, 280, 281, 282, 283 पर आने जाने हेतु निम्नानुसार रास्ता प्रस्तावित किया जाता है।

क्रस.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई एंव चौडाई मीटर में	प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल हैक्ट. मे	डी.एल. सी.दर प्रति एअर	दुगनी डी.एल. सी.दर प्रति एअर	राशि रूप्ये मे

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

	कुरबा पुत्र हजारीलाल 1/2 सुखलाल पुत्र हजारीलाल 1/2 जाट सा.देह. खातेदार	253	0.44	चाही 1	लम्बाई 37.5 मी. एंव चौडाई 4 मीटर	0.0150 हे.	17790 प्रति एयर	35580 प्रति एयर	53370

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 37.5 मीटर एंव चौडाई 04 मीटर होकर कुल क्षैत्रफल 0.0150 हे. बनता है एंव दुगनी डी.एल.सी.दर 35,580 रूप्ये से गुणा करने पर राशि 53370 रूप्ये अक्षरे तिरेपन हजार तीन सौ सत्तर रूप्ये होती है।

रूप्ये का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को किए जाने पर मौजा फलासिया की आराजी संख्या 253 रकबा 0.44 हे. मे से 37.5 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई कुल 0.0150 हे. भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एंव उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेष दिए जाते है। विपक्षीगण को उनके हक हिस्से अनुसार 53370 /– रूप्ये अक्षरे तिरेपन हजार तीन सौ रूप्ये के भुगतान हेतु विपक्षीगण के हिस्से अनुसार विपक्षीगण के नाम के अलग–अलग ड्राफट बनाकर तहसीलदार चित्तौडगढ के मार्फत भुगतान किए जाने हेतु प्रस्तुत करे। उक्तानुसार ड्राफट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौडगढ को प्रेषित कर राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, कि प्रति निर्णय की प्रति के साथ सलंग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे। मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा ।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)